

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म.प्र.)

(स्टेशनरी कय हेतु निविदा अमंत्रण सूचना)

क्रमांक ५५६/दो-२२-३/२०१८

सिंगरौली दिनांक ३०.०४.२०२५

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मध्यप्रदेश हेतु स्टेशनरी कय बावत् सीलबंद लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। इच्छुक व्यापारी/विक्रेता/निर्माता अपनी निविदाएं सीलबंद कर पूर्ण जानकारी सहित कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली में आवक-जावक शाखा में दिनांक १६.०६.२०२५ की दोपहर ०२:०० बजे तक मय संपल प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदाएं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली के नाम से प्रस्तुत की जाये प्राप्त निविदा प्रस्तुत की अंतिम तिथि अथवा निविदा खुलने की तिथि को अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस पर कय समिति के द्वारा निविदाकर्ता/प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। निविदा की शर्तें एवं सामग्री की सम्पूर्ण जानकारी माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट WWW.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय सिंगरौली की वेबसाइट WWW.dcourtsing-mp@nic.in के साथ ही WWW.tenders.gov.in पर भी उपलब्ध है जहा से निविदा प्रारूप एवं शर्त डाउनलोड की जा सकती है।


प्रभारी अधिकारी ग्रंथालय अनुभाग
सिंगरौली मुख्यालय वैदन म०प्र०

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म.प्र.) : : निविदा शर्तें : :

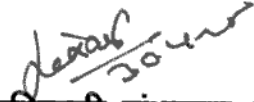
वर्ष 2025-26 के लिए संलग्न सूची अनुसार स्टेशनरी/सामग्री के लिए निविदाएं **अंतिम तिथि 16.06.2025 की दोपहर 02:00 बजे तक** कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मध्यप्रदेश में निम्न शर्तों के अंतर्गत आमंत्रित की जाती हैं:-

1. सील बंद लिफाफे के निविदाएं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली के नाम से दिनांक 16.06.2025 की दोपहर 02:00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। उक्त निविदा जिला न्यायालय में गठित कय समिति द्वारा दिनांक 16.06.2025 को शाम 05:00 बजे खोली जावेगी।
2. लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्टेशनरी/सामग्री प्रदाय हेतु निविदा लिखा जाना चाहिए।
3. नियत समयावधि के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. आदेशानुसार स्टेशनरी/सामग्री प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली के ग्रंथालय अनुसार के स्टोर रूम तक पहुंचाने का समस्त उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंगरौली को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं।
6. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को यह अधिकार है होगा कि सीलबंद निविदा खोलते समय यदि किसी सामग्री की दर से अन्य निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों से अपेक्षाकृत कम है तो ऐसी स्थिति में दरों के आधार पर एक से अधिक निविदाकारों के पृथक-पृथक अनुबंध किया जा सकता है एवं बिना कोई कारण बताये भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को निरस्त किया जा सकता है।
7. निविदा में प्रत्येक सामग्री के उत्पादक/कंपनी का नाम कीमत, साईज, नाप, तोल आदि का विवरण देना अनिवार्य होगा।
8. प्रदाय की गई कोई सामग्री कम्पनी पैक में नहीं होने पर अथवा उससे निम्न स्तर की होने की दशा में ऐसी सामग्री निविदाकर्ता के अपने स्वयं के व्यय पर वापस उठानी होगी तथा निविदा में दर्शित कम्पनी के अनुसार सामग्री कय आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर करनी होगी।
9. अनुमोदित दरों की वैधता चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अथवा अनुबंध की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी।
10. निविदाकर्ता निविदा को साथ वाणिज्य कर विभाग व जी.एस.टी. रिटर्न के वैध व प्रभावी पंजीयन के साथ प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। केवल ऐसे निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत सीलबंद निविदाओं पर ही विचार किया जायेगा जो वाणिज्य कर जी.एस.टी. के बकायदार न हो जिस संबंध में निविदा में विशेष उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
11. सभी लेखन सामग्री के नमूने/सैंपल निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. निविदा की किसी भी शर्त को भंग होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगा।

13. यदि निविदा प्रस्तुत की अंतिम तिथि अथवा निविदा खुलने की तिथि को अवकाश घोषित होते हैं तो वह निविदा अगले कार्य दिवस पर खोली जावेगी।

14. निविदा आवेदन पत्र मय शर्तों एवं सामग्री सूची तथा रुपये 500/- एक हजार रुपये की राशि शासन के हैंड 0070-01-800-0000 में जमाकर चालान की मूल प्रति कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश, सिंगरौली में प्रस्तुत की जायेगी तथा उक्त राशि 500/- किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी। जिन निविदाओं के साथ उक्त राशि का चालान संलग्न नहीं होगा उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

15. विक्रेता/व्यापारी/निर्माण संस्थाओं द्वारा सुरक्षा निधि के रूप में स्टेशनरी/सामग्री हेतु राशि रुपये 10000/- एफ.डी.आर. (एक वर्ष की) जमा करनी होगी, जो कि 31 मार्च 2026 तक वैध हो एफ.डी.आर. के अतिरिक्त कोई भी ई.एम.डी जमा करने पर निविदाकारों की निविदा निरस्त की जा सकती है।


प्रभारी अधिकारी ग्रंथालय अनुभाग
सिंगरौली मुख्यालय वैदन म0प्र0

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता

.....

.....

.....

मोबाईल नं.....

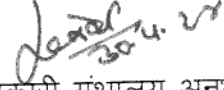
..

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म.प्र.)
स्टेशनरी/लेखन सामग्री की दर/मूल्य
वर्ष 2025-26

स. क.	सामग्री का विवरण	कंपनी का नाम	दर प्रति पैकेट/नग जी.एस.टी. सहित	रिमार्क
1.	पेपर ए4 साइज (75 GSM)	J.K		
2.	जजमेन्ट पेपर ए4 साइज (80 GSM)	J.K		
3.	कैंची	-		
4.	पेपर फ्लैग	--		
5.	पेंसिल	Apsara/Natraj		
6.	स्टेपलर पिन छोटा 10 नं0	Kangaro		
7.	स्टेपलर पिन बड़ा 24x6	Kangaro		
8.	स्टेपलर छोटा 10 नं0	Kangaro		
9.	स्टेपलर बड़ा 24x6	Kangaro		
10.	फाइल पैड	Superior office file pad		
11.	सेलो टेप बड़ा सफेद	Cello		
12.	टैग छोटा			
13.	टैग बड़ा सुपर			
14.	पेपर पिन	Konika		
15.	पेपर वेट	-		
16.	स्टाम्प पैड	Camel		
17.	स्टाम्प पेड इंक	Camel		
18.	नोट गिनने का डंपर	-		

19.	फैवस्टिक	Fewistik		
20.	सादा रजि० 3 नं०	—		
21.	पेन लाल	Uniball		
22.	पेन हरा	Uniball		
23.	पेन नीला	Uniball		
24.	सादा रजि० 4 नं०	—		
25.	सादा रजि० 5 नं०	—		
26.	सादा रजि० 6 नं०	—		
27.	पिन कुशन	—		
28.	कैकुलेटर	Casio		
29.	मार्कर काला	Luxor		
30.	मार्कर लाल	Luxor		
31.	सूजा लकड़ी	—		
32.	प्लूड पेन	Camel		
33.	हाईलाइटर पेन	Luxor		
34.	पेसिल लाल नीली	—		
35.	शार्ट हैण्ड बुक	—		
36.	चपड़ी	—		
37.	सुतली	—		
38.	पेन लाल (डेली यूज हेतु)	—		
39.	पेन नीला (डेली यूज हेतु)	—		
40.	फाईल कव्हर	Century		
41.	गोंद की बॉटल बडी	—		
42.	लिफाफा ए 4 साईज	—		
43.	लिफाफा ए 3 साईज	—		
44.	लिफाफा 11x5 साईज	—		
45.	लिफाफा 9x4 साईज	—		

46.	बोर्ड मार्कर	Luxor		
47	डाक पार्सल कपड़ा	—		


 प्रभारी अधिकारी ग्रंथालय अनुभाग
 सिंगरौली मुख्यालय वैद्वन म0प्र0

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
 नाम एवं पता

.....

मोबाईल नं.....
 दिनांक:-